

अज अदालत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)

मुकाम

जोधपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

प्रत्यर्थीगण

देवकिशन पुत्र हस्तीमल सांखला, जाति माली,
निवासी ग्राम बालेसर सत्ता, तहसील शेरगढ़,
जिला जोधपुर।

1. नेमाराम पुत्र तेजाराम, जाति
माली, निवासी ग्राम बालेसर
सत्ता, तहसील शेरगढ़, जिला
जोधपुर।



2. राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार शेरगढ़, जिला
जोधपुर।

किस्म मुकदमा

राजस्व अपील

49

सन् 2022

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बनम व इस हुक्म तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
17.06.2022	<p>यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के मुकदमा संख्या निगरानी/एल.आर./9698/2008/जोधपुर बउनवान नैमाराम बनाम देवकिशन आदेश दिनांक 01.11.2021 द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त हुआ है। अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश की अनुपालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  अपर जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर। </p>	<p style="text-align: right;">नेमाराम</p>
23/06/22	<p>अपीलार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 01 उपस्थित। अपीलार्थी उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपीलार्थी ने शबना-पत्र बाबत अपील को विद्रो करने की अनुमति देने का पेश कर अपील को जरिये विद्रो खारिज करने का पेश किया। हमने शबना-पत्र का अवलोकन किया। अतः अपील उत्सोतान्त जरिये विद्रो खारिज की जाती है। अपीलार्थी को पहचान उनके अधिवक्ता श्री लाडू राम पूनिया ने की। पत्रावली फॉसल शुमार होकर दाखिल दमतर है।</p> <p style="text-align: center;">  अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर </p>	<p style="text-align: right;">नेमाराम</p>